उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–421–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2021–03–ज0श0 एवं प्र0सु0/2020 दिनाँक 07/04/.2021

समस्त निदेशकगण,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं
उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय : कोरोना वायरस नये (कोविड–19) के प्रसार को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले निवारक उपाय।

महोदया/महोदय,

कोरोना वायरस नये (कोविड–19) के प्रसार को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले निवारक उपाय विषयक कारपोरेशन के पत्र संख्या–237–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2020–03–ज0श0 एवं प्र0सु0/2020 दिनांक 23.03.2020 के बिन्दु सं0–16 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

16. मुख्यालय के प्रत्येक फ्लोर पर समुचित साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो इस हेतु प्रत्येक फ्लोर हेतु एक–एक नोडल अधिकारी निम्नानुसार नामित किये जाते हैं जिनका यह दायित्व होगा कि वे दिन में कम से कम 4 बार अपने फ्लोर का निरीक्षण/भ्रमण करेंगे एवं सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी परिलक्षित होने पर वही श्री डी0पी0 सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, जानपद (मो नं0–9415114090) को अवगत कराते हुए इसका समाधान करायेंगे।

शक्ति भवन मुख्यालय हेतु नामित अधिकारी

क्रम सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	आवंटित तल
1	श्री एस0पी0 सिंह, मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), पाकालि	प्रथम तल
2	श्री अनिल कुमार अवस्थी, मुख्य महाप्रबंधक, लेखा, पाकालि	द्वितीय तल
3	श्री दीपक श्रीवास्तव, अपर सचिव–तृतीय, पाकालि	तृतीय तल
4	श्री ए0के0 श्रीवास्तव, निदेशक (वाणिज्य), पाकालि	चतुर्थ तल
5	श्री अश्वनी कुमार, निदेशक (वितरण), पाकालि	पंचम तल
6	श्री वी0के0 खरे, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पारेषण	षष्ठम तल
7	श्री ए0के0 पुरवार, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पाकालि	सातवां तल

शक्ति भवन विस्तार हेतु नामित अधिकारी

क्रम सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	आवंटित तल
1	श्री ए0सी0 पाण्डे, उप महाप्रबन्धक लेखा, पावर कारपोरेशन	द्वितीय तल
2	श्री विनीत कुमार, मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), पावर कारपोरेशन	तृतीय तल
3	श्री एस0के0 भारती, मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), पावर कारपोरेशन	चतुर्थ तल
4	श्रीमती वारालिका दुबे, मुख्य अभियन्ता (नियोजन), पावर कारपोरेशन	पंचम तल
5	श्री संजीव कुमार अवस्थी, उप महाप्रबन्धक (लेखा), पारेषण निगम	षष्ठम तल
6	श्री बी0बी0 राय, मुख्य अभियन्ता (रिस्पो), पावर कारपोरेशन	सातवां तल
7	श्री अजीत कुमार तिवारी, निदेशक (तकनीकी), उत्पादन निगम	अष्ठम तल

क्रमशः.....(2)

8	श्री मोहम्मद तसलीम, मुख्य अभियन्ता (एच0 आर0), उत्पादन निगम	नवम तल
9	श्री आर0के0 सिंह, निदेशक (आपरेशन), पारेषण निगम	दशम तल
10	श्री संदीप कुमार, मुख्य अभियन्ता, पारेषण निगम	11वां तल
11	श्रीमती साधना गोस्वामी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, पावर कारपोरेशन	12वां तल
12	श्री नैयर कमाल, मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), पारेषण निगम	13वां तल
13	श्री दीपक रायजादा, अधीक्षण अभियन्ता (पी0पी0ए0),पावर कारपोरेशन	14वां तल
14	श्री नीरज अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता (आर0ए0यू0), पावर कारपोरेशन	15वां तल

03/4/2021

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–421(i)–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0।
3. समस्त अधिकारीगण।
4. अधिशासी अभियन्ता, वेब, चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–237–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2020–03–ज0श0 एवं प्र0सु0/2020 दिनाँक 21.03.2020

समस्त निदेशकगण,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं
उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0
शक्ति भवन, लखनऊ

विषय : कोरोना वायरस नयें (कोविड–19) के प्रसार को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले निवारक उपाय।

महोदया/महोदय,

कोरोना वायरस के सम्भावित संक्रमण के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यवाही की जाये :–

1. कार्यालय परिसर/विद्युत उपकेन्द्रों पर समुचित साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
2. कार्यालय परिसर/विद्युत उपकेन्द्रों पर स्थापित दरवाजों, खिड़कियों आदि का निरन्तर सेनेटाइजेशन कराया जाय और इसका निरन्तर अनुश्रवण भी कराया जायें।
3. कार्यालय के साफ–सफाई में प्रयोग होने वाली सामग्री जैसे फिनायल, फ्लोर क्लीनर, सेनेटाइजर आदि की समुचित मात्रा में व्यवस्था की जाये।
4. वाशरूम में पानी एवं साबुन की समुचित व्यवस्था की जाये।
5. शक्ति भवन में मात्र दो प्रवेश द्वार ही खोले जायें।
6. प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा प्रवेश करने वालों के शरीर का तापमान थर्मल स्कैनर से चेक किया जाये। ऐसे कार्मिक जिनका शरीर का तापमान 99 डिग्री फारेनहाइट से अधिक होगा उन्हें मुख्यालय में प्रवेश न दें तथा उन्हें चिकित्सीय परामर्श हेतु भेजें।
7. लिफ्ट में कई लोगों को एक साथ प्रवेश न दिया जाये। एक बार में 4 से अधिक व्यक्तियों को न जाने दें। कार्मिकों को सीढ़ी के प्रयोग हेतु प्रेरित करें।
8. कैन्टीन में समुचित साफ–सफाई की व्यवस्था की जाये और कैन्टीन में खाद्य सामग्री खरीदने वालों में आपस में एक मीटर की दूरी अवश्य बनायी रखी जाये।
9. कार्मिकों के अलावा बाहरी किसी व्यक्ति का शक्ति भवन में अग्रिम आदेश तक प्रवेश न होने दिया जाये। अगर किसी अपरिहार्य कारण से किसी गैर कार्मिक का प्रवेश आवश्यक हो तो, उस स्थित में प्रबन्ध निदेशक की अनुमति के बाद ही प्रवेश कराया जाये।
10. कार्यालय प्रभारी अपनी आवश्यकतानुसार रोस्टर बनाकर विभिन्न समयावधि में कार्मिकों को बुला सकते हैं।
11. 50 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे कार्मिकों जिन्हें पहले से डायबिटीज, श्वास सम्बन्धी समस्या, किडनी सम्बन्धी रोगों से ग्रसित हैं, उन्हें मांग के अनुसार अवकाश स्वीकृत करने पर विचार किया जाये।
12. ऐसे कार्यों को चिन्हित किया जाये जिन्हें घर से कम्प्यूटर/मोबाइल के माध्यम से कार्य कराया जा सकता है और ऐसे कार्मिकों को घर पर ही कार्य करने की सलाह दी जाये।
13. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी नियमित कार्मिक एवं संविदा कर्मचारी के संक्रमित होने की दशा में उन्हें अवकाश स्वीकृत कर दिया जाये एवं इस क्रम में उनके वेतन में किसी प्रकार की कटौती न की जाये। विशेषकर संविदा कर्मियों के मामलों में इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
14. कोरोना वायरस से पीड़ित कार्मिकों को इलाज हेतु आवश्यक धनराशि निगम के नियमानुसार सर्वोच्च प्राथमिकता पर स्वीकृत करायी जाये।
15. समस्त कार्मिको को यह भी संज्ञानित करायें कि वे कोरोना वायरस के सक्रमण रोकने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों की अद्यतन जानकारी प्राप्त करते रहें और तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही भी करें और किसी प्रकार की अफवाह से बचें।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

16. मुख्यालय के प्रत्येक फ्लोर पर समुचित साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो इस हेतु प्रत्येक फ्लोर हेतु एक–एक नोडल अधिकारी निम्नानुसार नामित किये जाते हैं जिनका यह दायित्व होगा कि वे दिन में कम से कम 4 बार अपने फ्लोर का निरीक्षण/भ्रमण करेंगे एवं सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी परिलक्षित होने पर वह श्री डी0पी0 सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, जानपद (मो0 नं0–9415114090) से सम्पर्क कर इसका समाधान करायेगें।

शक्ति भवन मुख्यालय हेतु नामित अधिकारी

क्रम सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	आवंटित तल
1	श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–द्वितीय), पाकालि	प्रथम तल
2	श्री अनिल कुमार अवस्थी, मुख्य महाप्रबन्धक, लेखा पाकालि	द्वितीय तल
3	श्री आर0के0 श्रीवास्तव, अपर सचिव–तृतीय पाकालि	तृतीय तल
4	श्री ए0के0 श्रीवास्तव, निदेशक (वाणिज्य) पाकालि	चतुर्थ तल
5	श्री विजय कुमार , निदेशक (वितरण) पाकालि	पंचम तल
6	श्री वी0के0 खरे, निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0) पारेषण	छठा तल
7	श्री ए0के0 पुरवार, निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0) पाकालि	सातवां तल

शक्ति भवन विस्तार हेतु नामित अधिकारी

क्रम सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	आवंटित तल
1	श्री ए0सी0 पाण्डे, उप महाप्रबन्धक लेखा, पावर कारपोरेशन	द्वितीय तल
2	श्री विनीत कुमार, मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), पावर कारपोरेशन	तृतीय तल
3	श्री श्रवण पर्ती मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), पावर कारपोरेशन	चतुर्थ तल
4	श्रीमती वारालिका दुबे, मुख्य अभियन्ता (नियोजन), पावर कारपोरेशन	पंचम तल
5	श्री संजीव कुमार अवस्थी, उप महाप्रबन्धक लेखा, पारेषण निगम	छठा तल
6	श्री बी0के0 रस्तोगी, मुख्य अभियन्ता (रेस्पो), पावर कारपोरेशन	सप्तम तल
7	श्री संजय तिवारी, निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0) उत्पादन निगम	अष्ठम तल
8	श्री ए0के0 तिवारी, निदेशक (तकनीकी) उत्पादन निगम	नवम तल
9	श्री आर0के0सिंह निदेशक (आपरेशन) पारेषण निगम	दशम तल
10	श्री संदीप कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता, पारेषण निगम	11वां तल
11	श्री साधना गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक सतर्कता, पावर कारपोरेशन	12वां तल
12	श्री एच0आर0 सिंह , मुख्य अभियन्ता जल विद्युत निगम	13वां तल
13	श्री नीरज अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता (आर0ए0यू0), पावर कारपोरेशन	14वां तल
14	श्री राजीव सचान मुख्य अभियन्ता (जानपद), पारेषण निगम	15वां तल

कृपया उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और किसी भी दशा में विद्युत आपूर्ति बाधित न होने पाये।

भवदीय,

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–237(i)–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2019 तददिनॉंक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0।
3. सम्बन्धित अधिकारीगण।
4. अधिशासी अभियन्ता (वेब), चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner